न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-132/2014

नानूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0-01 ग्राम परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- भगवान सहाय
2- बंशीधर
3- श्योनारायण
4-रामेश्वर
5-गणपत
6-प्रभूदयाल
7-अर्जुन
8-जगदीशप्रसाद पुत्र मंगलाराम
9-अर्जुनलाल पुत्र मंगलाराम
10-रूडाराम
11-गिरधारी
12-प्रहलाद
13-रामलाल
14-महेन्द्र
15-राजेन्द्र

पुत्रगण श्यामाराम

पुत्रगण भूराराम

समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी जोहडावाली तन महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

16- कैलाशचन्द पुत्र सीताराम जाति पुरोहित निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

17- सुखाराम
18-लादूराम

पुत्रगण भूराराम जाति जाट निवासीगण नदी के ऊपर ढाबे के पास परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

19-रघनाथ पुत्र त्रिलोक मृत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19/1- प्रभातीदेवी पत्नी रूघनाथ
19/2- तीजवन्ती पुत्री रूघनाथ
19/3- इन्द्रादेवी पुत्री रूघनाथ
19/4- गोपाल पुत्र रूघनाथ
19/5- कुमारी सावित्री पुत्र रूघनाथ
19/6- गायत्री पुत्री रूघनाथ
19/7- कुमारी आभा पुत्री रूघनाथ
19/8- तेजस पुत्र रूघनाथ

समस्त जाति जाट निवासी गणपति धाम के सामने परसरामपुरा सरगोठ वार्ड नं0-1 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

20 प्रमोदकुमार पुत्र प्रभूदयाल
21-मनोजकुमार पुत्र प्रभूदयाल
22-अरूणाकुमार पुत्र प्रभूदयाल
23-बिमलादेवी पत्नी प्रभूदयाल
24-हरदेव पुत्र भूरा
25-रामलाल पुत्र बालूराम
26-सेवाराम पुत्र बालूराम
27- रविकुमार उर्फ गोपाल पुत्र बालूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी पूनियावाली तन जैतूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

28- बीरबल पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ढाणी पूनिया वाली नि महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

29-भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

30-बाबूलाल पुत्र उदाराम जाति अहीर निवासी ढाणी का कोडिया वाली तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

31-कालूराम पुत्र भूराराम जाति अहिर निवासी ढाणी मेहरावाली तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

32-बिमलादेवी पत्नी जगदीशप्रसाद जाति कुमावत निवासी वार्ड नं0-20 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

33-चन्द्रभान पुत्र ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी खाटूमोड के पास वार्ड नं0-5 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

34-लालूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्ट्स--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-10-2007 द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर।

--0--

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति-

1-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

3-श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 9-4-2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 9 के पिता रामाराम व मंगलाराम तथा रेस्पोडेन्ट सं0-10 से 15 ने अदालत मातहत में दावा बाबत इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी पुराने ख0नं0 208/1264 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा ख0नं0 208/1267 रकबा 39 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 74/1249 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता-3 रकबा 59 बीघा 3 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 239 रकबा 10.55 हैक्टर, ख0नं0 240 रकबा 0.77 हैक्टर, ख0नं0 329 रकबा 1.81 हैक्टर ख0नं0 330 रकबा 0.85 हैक्टर, ख0नं0 336 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 339 रकबा 0.49 हैक्टर तन ग्राम सरगोठ में अवस्थित है । जिसमें 1/2 हिस्से के वादी सं0-1 व 2 तथा वादी सं0-3 से 8 के पिता व पति स्व0 भूराराम खातेदार थे । इस भूमि में से नयी रोड निकलने से ख0नं0 208/1264 की भूमि में से 5 बीघा 2 बिस्वा रोड में चली गई जिसके बाद वादीगण के हिस्से में कुल 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि रही जिसमें से 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन वादीगण ने स्वयं के पास रखकर 25 बीघा 10 बिस्वा का बैचान कर दिया। यह बैचान दिनांक 25-3-80 को प्रतिवादी सं0-1 के पक्ष में किया। वादीगण के पास रही भूमि पर 15-16 साल पूर्व एक पुख्ता कमरा बनाया । प्रतिवादीगण का 1 बीघा 10 बिस्वा(0.38 हैक्टर) से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।इस आराजी का बंटवारा करने के लिये वादीगण ने पटवारी से जमाबन्दी की नकल ली तो पता चला कि वादीगण का नाम खातेदारी में नहीं है । प्रतिवादी सं0-1 को 25 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही बैचान किया गया था किन्तु वादीगण की 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि सैटलमेन्ट के अधिकारियों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

ने प्रतिवादी के नाम गलत दर्ज कर दी । जिसको दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण को वाद पत्र के मद सं0-1 में । बीघा 10 बिस्वा (0.38 हैक्टर) के नये ख0नं0 329 के उत्तरी पूर्वी कौने का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । तथातद्नुसार पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज की जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई ख0नं0 329 रकबा 1.81 हैक्टर में से 0.38 हैक्टर दक्षिणी ओर की में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के नोटिस अपीलान्ट पर कभी भी तामिल नहीं हुये न ही अपीलान्ट ने अपनी ओर से कोई अधिवक्ता नियुक्त किया है । बल्कि वादीगण ने अपीलान्ट के कूटरचित हस्ताक्षर कर अन्य प्रतिवादीगण से साजिश रचकर फर्जीकारी कार्यवाही करते हुये वकालतनामा पेश करवाया तथा इसके बाद जबाब दावा बन्द करवाया । जिसके लिये आपराधिक कार्यवाही अलग से की जावेगी। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, वादीगण के वाद पत्र को इग्नोर करते हुये वादीगण द्वारा चाही गई सहायता के सर्वथा विपरित निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वादीगण ने अपने वाद पत्र में ख0नं0 329 के उत्तरी पूर्वी रकबा 0.38 हैक्टर की खातेदारी की उद्घोषणा व बंटवारा चाहा था, अदालत मातहत ने बिना किसी जांच के सर्वथा विपरीत दक्षिण ओर का खातेदार वादीगण को घोषित किया है जो विधि के विपरित है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं है । ख0नं0 329 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खाते--दारी की भूमि थी तथा बंटवारे के वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित पर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये जाने का आज्ञापक प्रावधान O 0 है परन्तु न तो प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा ना ही किसी राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट ली तथा ना ही वादीगण ने बंटवारा प्रमाणित किया है । संयुक्त खातेदारी भूमि में

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

कानूनी भूल की है ।अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री की पालना में नक्शा ट्रेस में आज दिनांक तक अंकन नहीं हुआ न ही नक्शा ट्रेस होना सम्भव है । क्योकि निर्णय व डिक्री बिना कोई विभाजन प्रस्ताव बिना जांच रिपोर्ट के पारित किया है । ख0नं0 329 सडक के सहारे की भूमि है तथा अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि है। अपीलान्ट भारतीय सेना में नौकरी करता था तथा बाहमी बंटवारा में सडक के सहारे की भूमि दी गई क्योकि तत्समय आवारा पशुओं के डर व सडक के सहारे आपराधिक गतियों के भय से कोई खातेदार सडक पर भूमि बंटवा-रे में नहीं लेना चाहते थे, फिर भी अपीलान्ट ने इस आराजी का विकास किया किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने बिना मौके की रिपोर्ट मंगाये अपीलान्ट के हिस्से की आराजी को वादीगण की खातेदारी में घोषित कर कानूनी भूल की है ।रेस्पोन्डेन्ट ने अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री का अमल दरामद करवाकर भूमि ख0नं0 329/3 रकबा 0.38 हैक्टर को भू-माफिया गिरोह के व्यक्तियों रेस्पोन्डेन्ट सं0-30 से 34 को विक्रय कर दिया जो अपीलान्ट को बेदखल कर ख0नं0 329 के 329/3 पर मन चाहे स्थान पर कब्जा करने व निर्माण करने की कुचेष्टा में प्रयासरत है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं ।अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला इस कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक3-12-2014 को जब हुई जब वादी ने अदालत मातहत में विवादित आराजी ख0नं0239/3, 240/3, 329/1 329/3 के बंटवारा बाबत अदालत मातहत में दावा सं0-270/2014 दिनांक 23-9-2014 को प्रस्तुत किया जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्थगन प्राप्त किया व भूमि ख0नं0 329 पर निमार्ण के बाबत हो रही गतिविधियों को रूकवाया तो भूमि लेवलिंग करने का काम रोक दिया गया । परन्तु अचानक दिनांक 23-11-2014 को रेस्पोन्डेन्ट ने भूमि को लेवलिंग करने का काम शुरू कर दिया । तथा रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उप खण्ड अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी । इस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलान्ट ने वकील नियुक्त कर दिया जिस पर प्रकरण में दिनांक 3-12-2014 को बहस होने पर दावा सं0-562/1885 में विवादित आराजीयात

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी सीकर

का बंटवारा हो गया । तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जिस पर दि0 5-12-2014 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 9-12-14 को प्राप्त हुई जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0-2026 से 2029 ख0नं0 208/1264, 208/1267, 74/1249 कुल किता-3 रकबा 59 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी भूराराम, श्यामाराम, मंगलाराम पुत्र लालूराम हि0 1/2 व हनुमान पुत्र लिछमण मुरली पुत्र हनुमान 1/2 के नाम दर्ज है । प्रदर्श-2 विक्रय पत्र दिनांक 25-3-1980 में ख0नं0 208/1264, 208/1267, 74/1249 कुल किता-3 रकबा 59 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बीघा रोड रोड की कम करने पर शेष 54 बीघा 2 बिस्वा । बिस्वा में से हि0 1/2 की भूमि हम श्यामाराम, भूराराम, मंगलाराम पुत्रगण लालूराम ने ख0नं0 208/1264 में से । बीघा 10 बिस्वा कम करने पर शेष बची भूमि 25 बीघा10 बिस्वा भूमि का बैचान सीताराम पुत्र मांगीलाल पारीक को बैचान किया गया है । जिसका नामान्तरकरण सं0-502 क्रेता सीताराम पुत्र मांगीलाल के नाम दर्ज किया गया। जिसका अंकन प्रदर्श-4 जमाबन्दी सं0-2042 में किया गया । प्रदर्श-5 व नामा0सं0 433 सा0नि0वि0 के नाम 5 बीघा 2 बिस्वा का दर्ज किया गया । प्रदर्श-8 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श-10 नकल नक्शा का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-9 जमाबन्दी सं0-2059 से 2062 में ख0नं0 239, 240, 329, 330 कुल किता-4 रकबा 13.98 हैक्टर की खातेदारी नानूराम पुत्र भूराराम हि0 3/10, मुखाराम, लादूराम पि0 भूराराम हि0 3/5, कैलाश पारीक पुत्र सीताराम पारीक हि0 1/10 29 बीघा 11 बिस्वा रघनाथ पुत्र तिलोकराम 14 बीघा 12 बिस्वा हि0 1/2, भूराराम बालूराम पि0 तिलोक राम हि0 2/3, बीरबल पुत्र हनुमान हि0 1/3 15 बीघा ब0हि0ब0 के नाम दर्ज

है । प्रार्थना पत्र वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में आदेश-6 नियम-17 सीपीसी का पेश किया जिसमें बिन्दू संख्या-2 में वाद पत्र की मद सं0-4, 9क तथा 9 ख में भूलवश "उत्तरी" शब्द लिखा गया जबकि उत्तरी की जगह "दक्षिणी" होना चाहिये । यह प्रार्थना पत्र दिनांक 19-7-2007 को पेश किया तथा इसी दिनांक को स्वीकार कर संशोधित वाद दिनांक 23-8-2007 को पेश किया गया। दावे में "उत्तरी" दिशा की जगह दक्षिणी दिशा किया गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017(1) पेज 689, आरआरडी 2011 पेज 202, 558, आरआरडी 1995 पेज-47, 475, आरआरडी 2000 पेज-170 आरआरडी 2001 पेज 306, आरआरडी 2009 पेज 378, आरआरडी 2002 पेज-70 पेश कर दौहराया कि अदालत मातहत ने राज0 काश्तकारी(राजस्व बोर्ड) नियम 1955 नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-53 में विभाजन की डिक्री पारित करने में इनकी पालना आवश्यक है । साथ ही दावे में प्रारम्भिक डिक्री भी पारित नहीं की है ।जो बंटवारे के दावे में आवश्यक है । दूसरी तरफ विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने 2013(1) आरएलडब्लू पेज-18, आरआरटी 2014(1) पेज 397, आरआरटी 2006-07(एस0सी0) पेज-114 पेश की ।अपीलांट नानूराम का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला अपीलांट ने वकील नियुक्त किया है। अपीलान्ट का रामप्रतापसिंह वकील का वकालतनामा अन्य प्रतिवादीगण के साथ दर्ज है ।अपीलान्ट ने कोई जबाब नहीं दिया । इस कारण दावे में तनकीयात कायम नहीं की तथा दावा मे संशोधन के लिये प्रार्थना पत्र आदेश-6 नियम-17 सीपीसी पेश किया जिस पर कोई ऐतराज नहीं होने पर स्वीकार किया गया है ।इसके बाद संशोधित वाद पेश किया गया है ।अदालत मातहत ने रिलीफ से हटकर कोई निर्णय नहीं दिया संशोधित वाद पेश होने पर ख0नं0 329 रकबा 1.81 हैक्टर में से 0.38 हैक्टर भूमि दक्षिणी ओर की में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है । साथ ही विक्रय पत्र में भी स्पष्ट दर्ज किया है कि ख0नं0 208/1264 में से 1 बीघा 10 बिस्वा कम कर शेष 25 बीघा 10 बिस्वा का बैचान किया है । जबाब दावा नहीं दिये जाने पर

अदालत मातहत ने अपना निर्णय दिया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है । उनमें प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश किया गया ।इस कारण प्रस्तुत नजीरों के तथ्य भिन्न होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है । तथा अदालत हाजा के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा के लिये संशोधित दावा न्यायालय की अनुमति से पेश किया गया है ।इस कारण अपीलान्ट का यह कथन भी विश्वास योग्य नहीं है कि चाही गई रिलीफ के विपरित दावा डिक्री किया गया है ।अपीलान्ट की अपील का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर अपील में हुये विलम्ब को माफ कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-10-2007 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 9-4-2018 को सुनाया गया।

9/4/18

(भंवरलाल सैनी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत – भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास – श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर0ए0एस0

नानूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0-1 ग्राम परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

--अपीलान्ट--

--बनाम--

1- भगवान सहाय पुत्र यामाराम जाति अहीर निवासी ढाणी जोहडावाली तन महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर आदी।

--रेस्पोडेन्टस्---

-नोट उनवान संलग्न है:-

अपील नम्बर 132 सन् 2014 बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

मुकाम – दिनांक 23 माह 10 सन् 2007

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 9-4-18 हब्स हमारे व हाजिर श्री रामेश्वरलाल बिजारणिया मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री प्रभातीलाल मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज किया जाता है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-10-2007 यथावत रखा जाता है।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग xx रूपये अदा करें।
खर्चा मुकदमा मातहत का xx रूपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 9-4-2018 को जारी की गई।

दस्तखत – भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
ओहदा – पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	

दस्तखत –